बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 08-01-2014

सं०–प०वि०(सचि०)–57 / 2006 – 45 / भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार पर्यटन संवर्ग की सेवा शर्तों के विनियमन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–** (1) यह नियमावली "बिहार पर्यटन संवर्ग नियमावली, 2013" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा जिसमें बिहार राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन निदेशालय एवं इसके तहत् संचालित सभी पर्यटक सूचना केन्द्र शामिल होंगे।

   (3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ :–** जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

   (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार–सरकार;

   (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है पर्यटन विभाग;

   (iii) "निदेशालय से अभिप्रेत है, पर्यटन निदेशालय;

   (iv) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है, बिहार पर्यटन संवर्ग;

   (V) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है पर्यटक सूचना अधिकारी तक के पदो के संदर्भ में निदेशक, पर्यटन, बिहार तथा उच्चतर पदों के संदर्भ में प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार;

   (vi) "पर्यटक सूचना केन्द्रों" से अभिप्रेत है, परिशिष्ट 1 में यथाविनिर्दिष्ट केन्द्र या पर्यटन को विकसित करने के लिए, समय–समय पर, भविष्य में मुख्य स्थलों पर खोले जाने वाले केन्द्र;

   (vii) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

   (viii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है– पर्यटक सूचना अधिकारी तक के पदों के संदर्भ में निदेशक, पर्यटन, बिहार तथा उच्चतर पदों के संदर्भ में प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार;

   (ix) "ग्रेड" से अभिप्रेत है नियम–04 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड;

   (x) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है उस नियमावली के प्रारम्भ की तिथि; तथा

   (xi) "सीधी भर्ती" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;

3. **प्राधिकृत स्थायी बल सेवा / संवर्ग का गठन एवं केन्द्र सरकार के अनुरूप पर्यटन विभाग, बिहार में स्वीकृत पद का सम्परिवर्तित पदनाम :–**

   (i) पर्यटन विभाग, भारत सरकार में उपलब्ध पदों के अनुरूप पर्यटन निदेशालय, बिहार में विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत निम्नलिखित पदों का नियत तिथि से सम्परिवर्तित पदनाम निम्न प्रकार होगा:–

क्र०	पदनाम	सम्परिवर्तित पदनाम	अभ्युक्ति
1	कनीय टंकक लिपिक	सूचना सहायक ग्रेड–2	भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अनुरूप
2	वरीय टंकक लिपिक / स्वागतक	सूचना सहायक ग्रेड–1	तथैव

4. **सेवा के विभिन्न ग्रेड एवं पद और अधिकृत पदबल–**

   (1) पर्यटन विभाग, भारत सरकार में उपलब्ध पदों के अनुरूप पर्यटन निदेशालय, बिहार में विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत पद, पदबल तथा नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगा :–

क्र०	पदनाम	वेतनमान पुनरीक्षित	स्वीकृत / अनुमान्य बल	वर्गीकरण	नियुक्ति प्राधिकार	अभ्युक्ति
1	सूचना सहायक ग्रेड–2	पे० बैण्ड–1, ग्रेड पे० 1900	31	समूह "ग"	निदेशक पर्यटन, बिहार	

2	सूचना सहायक ग्रेड–1	पे० बैण्ड–1, ग्रेड पे० 2400	33	समूह "ग"	निदेशक पर्यटन, बिहार	
3	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	पे० बैण्ड–2, ग्रेड पे० 4200	25	समूह "ग"	निदेशक पर्यटन, बिहार	
4	पर्यटक सूचना अधिकारी	पे० बैण्ड–2, ग्रेड पे० 4600	8	समूह "ख"	निदेशक पर्यटन, बिहार	
5	सहायक निदेशक	पे० बैण्ड–2, ग्रेड पे० 4800	06	समूह "ख"	प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन, बिहार	
6	उप निदेशक	पे० बैण्ड–2 ग्रेड पे० 4800	02+01	समूह "ख"	प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन, बिहार	

(2) नियम 4 के उप–नियम (1) में दिया गया वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, किये गए पुनरीक्षण/संशोधन के आलोक में स्वतः पुनरीक्षित संशोधित समझा जायेगा।

(3) नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व से सूचना सहायक ग्रेड–2/सूचना सहायक ग्रेड–1/सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी/पर्यटक सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक/उप निदेशक के पद पर कार्यरत सभी कर्मी स्वतः इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए कर्णांकित उप निदेशक के एक पद पर कार्यरत पदाधिकारी शामिल नहीं माने जायेंगे।

(4) नियम 4 के (1) के तहत् निर्धारित स्वीकृत बल के अनुसार विभिन्न पर्यटक सूचना केन्दों/मुख्यालय में पदों का चिह्नितिकरण अधिसूचना निर्गत कर किया जा सकेगा।

(5) सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु मूल पद सूचना सहायक ग्रेड–2 होगा। सूचना सहायक ग्रेड–1 के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी तथा 50 प्रतिशत पदों पर सूचना सहायक ग्रेड–2 से वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जायेगी। सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी के पद पर भी 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी तथा 50 प्रतिशत पदों पर सूचना सहायक ग्रेड–1 से वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जायेगी तथा पर्यटक सूचना अधिकारी और सहायक निदेशक एवं उप निदेशक के पद शत प्रतिशत वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(6) नियम 4 के उप नियम (1) के तहत निर्धारित स्वीकृत बल के अनुसार परिशिष्ट 1 में चिन्हित पद के अलावे सभी पद निदेशालय (मुख्यालय) के लिए चिन्हित समझे जाएगें। उप नियम (1) में स्वीकृत पदबल में वृद्धि समय–समय पर वित्त विभाग के परामर्श से की जा सकेगी।

5. सूचना सहायक ग्रेड–2 के पद पर नियुक्ति :– (1) सूचना सहायक ग्रेड–2 के 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा। इस ग्रेड में सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें परिशिष्ट–2 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(2) सूचना सहायक ग्रेड–2 के शेष 25 प्रतिशत पदों को पर्यटन निदेशालय के समूह "घ" की कोटि से प्रोन्नति तथा आवश्यकतानुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। ऐसी प्रोन्नति, वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर, आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जा सकेगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित कालावधि को पूरा करना आवश्यक होगा।

6. सूचना सहायक ग्रेड–1 के पद पर नियुक्ति :– (1) सूचना सहायक ग्रेड–1 के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा। इस ग्रेड में सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें परिशिष्ट–2 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(2) सूचना सहायक ग्रेड–1 के शेष 50 प्रतिशत पदों को पर्यटन निदेशालय के सूचना सहायक ग्रेड–2 की कोटि से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जा सकेगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित कालावधि को पूरा करना आवश्यक होगा।

7. सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्ति :– (1) सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, इस परियोजनार्थ, समय–समय पर, आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा। इस ग्रेड में सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें परिशिष्ट–2 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(2) सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी के शेष 50 प्रतिशत पदों को पर्यटन निदेशालय के सूचना सहायक ग्रेड–1 की कोटि से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जा सकेगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित कालावधि को पूरा करना आवश्यक होगा।

8. पर्यटक सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्ति :– पर्यटक सूचना अधिकारी के पदों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर पर्यटन निदेशालय के सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी ग्रेड की कोटि से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जा सकेगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित कालावधि को पूरा करना आवश्यक होगा।

9. सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति :– सहायक निदेशक के पदों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर पर्यटन निदेशालय के पर्यटक सूचना अधिकारी ग्रेड की कोटि से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जा सकेगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित कालावधि को पूरा करना आवश्यक होगा।

10. उप निदेशक के पद पर नियुक्ति। उप निदेशक के पदों को (बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए कर्णांकित पद को छोड़कर) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर पर्यटन निदेशालय के सहायक निदेशक ग्रेड की कोटि से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। ऐसी प्रोन्नति लेखा परीक्षा उत्तीर्ण सहायक निदेशक कोटी के पदाधिकारियों को वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जा सकेगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित कालावधि को पूरा करना आवश्यक होगा।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति :–

(i) सूचना सहायक ग्रेड–2, सूचना सहायक ग्रेड–1ए सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी, पर्यटक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक ग्रेड में प्रोन्नति पर विचारण के लिए प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर होगी :–

(क)	निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।	–	अध्यक्ष
(ख)	वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून)।	–	सदस्य
(ग)	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून)।	–	सदस्य
(घ)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति / जन–जाति के प्रतिनिधि।	–	सदस्य
(ङ)	बिहार पर्यटन सेवा संवर्ग स्थापना के वरीय पदाधिकारी	–	सदस्य

(ii) उप निदेशक ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ प्रोन्नति समिति निम्नवत् होगी :–

(क)	बिहार लोक सेवा के सदस्य	–	अध्यक्ष
(ख)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, बिहार, पटना।	–	सदस्य
(ग)	निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।	–	सदस्य
(घ)	वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून)।	–	सदस्य
(ड़)	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून)।	–	सदस्य
(च)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के प्रतिनिधि।	–	सदस्य

(iii) सेवा के अन्तर्गत प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्ता का मापदंड सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्धारित मापदण्ड तथा 'वरीयता–सह–योग्यता' का सिद्धान्त होगा।

12. आरक्षण :– संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्धारित आरक्षण/रोस्टर एवं कालावधि के प्रावधान लागू होंगे।

13. नियुक्तियाँ, पदस्थापन इत्यादि की अधिसूचना :– (i) संवर्ग में पदों पर सभी सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

(ii) संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी को संवर्ग के स्वीकृत पद के भीतर कार्य बोझ के आलोक में किसी भी पद को कहीं भी किसी समय स्थानान्तरित करने का शक्ति होगी।

14. वरीयता :– (i) नियत तिथि से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता उस तिथि से पूर्व यथाअवधारित उनकी पारस्परिक वरीय के अनुसार विनियमित की जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त संवर्ग में शामिल सदस्यों की वरीयता का निर्धारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, निर्गत वरीयता निर्धारण संबंधी परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

(ii) सीधी भर्त्ती से नियुक्त, सभी ग्रेडों की पारस्परिक वरीयता सिर्फ बिहार कर्मचारी चयन आयोग की मेघा सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी।

(iii) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्यिों की पारस्परिक वरीयता उनकी प्रोन्नति की तिथि के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(iv)सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण प्रोन्नति/नियुक्ति ग्रेड सेवा में प्रवेश की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी।

15. प्रशिक्षण :– (i) नियत तिथि के बाद सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण लेने या ऐसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी, जो संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

(ii) सेवा के सदस्यों को प्रोन्नति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा आयोजित 'होटल प्रबंधन संस्थान', हाजीपुर/बोधगया 'अतिथ्य सत्कार प्रबंधन' (Hospitality Management) का कम–से–कम चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परन्तु लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा का आयोजन संभव नहीं हो, तो संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी इससे संबंधित विभाग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय प्रधान सचिव के अनुमोदन से इस प्रावधान को शिथिल कर सकेगा।

(iii) सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण आदि के पाठ्यक्रम संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा इस परियोजनार्थ बनायी गयी विनियमावली के अनुसार होगें।

16. सम्पुष्टि :– (i) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ–साथ संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

(ii) प्रथम आरम्भिक वेतन–वृद्धि के उपरान्त, परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना कोई वेतन–वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।

17. परिवीक्षा एवं अवधि– नियम–5, 6 एवं 7 के तहत् भर्ती किये गये सूचना सहायक ग्रेड–2 / सूचना सहायक ग्रेड–1 / सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी को, नियुक्ति की तिथि से परिक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परिक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। जिसकी सेवा तथा कार्यकलाप संतोष जनक नहीं रहने पर संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। बढ़ायी गई अवधि में भी सेवा संतोष जनक नहीं रहने पर परिक्ष्यमान रूप से नियुक्त व्यक्ति को सरकार के नियमानुसार सेवामुक्त किया जा सकेगा।

18. अन्य सेवा शर्त्ते :– इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्त्ते यथा–अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृत्ति लाभ, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना इत्यादि जो इस नियमावाली से आच्छादित नहीं है या जो इस सेवा के लिए पृथक रूप से अधिसूचित नहीं है; बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, बिहार सेवा संहिता, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत नियमावलियों, आदेशों तथा परिपत्रों आदि द्वारा नियंत्रित होगी।

19. विनियमन बनाने की शक्ति :– राज्य सरकार को इस नियमावली में विहित प्रावधानों को यथा अपेक्षित संशोधित करने का अधिकार होगा। प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया विनियमावली द्वारा विहित कर सकेगी। इस नियमावली के किसी प्रावधान को निर्वचन के संबंध में यदि कोई भ्रम हो, तो विधि विभाग द्वारा किया गया निर्वचन अन्तिम होगी।

20. निरसन एवं व्यावृति :– इस नियमावली के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि से पर्यटन विभाग / निदेशालय के पूर्ववर्ती के एतद्संबंधी सभी संकल्प / आदेश / परिपत्र एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे।

द्वारा उस निरसन के होते हुए भी, उक्त संकल्पों / आदेशों / परिपत्रों के अधीन किया गया कार्य या की गयी किसी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/1/14

(बी० प्रधान)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–......45/..........प०वि०, पटना, दिनांक........08-01–2014

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8/1/14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–......45/..........प०वि०, पटना, दिनांक........08-01–2014

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाल्मी, फुलवारीशरीफ/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्राचार्य, होटल प्रबंधन संस्थान, हाजीपुर/बोधगया/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/14

सरकार के प्रधान सचिव

परिशिष्ट–1

बिहार सरकार द्वारा संचालित पर्यटक सूचना केन्द्र/क्षेत्रीय कार्यालय

1. क्षेत्रीय कार्यालय/पर्यटक सूचना केन्द्र, नयी दिल्ली			
क्र०	नाम एवं पदनाम	श्रेणी	चिन्हित अनुमान्य बल
1	सहायक निदेशक	ख	1 पद
2	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	2 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
4	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
5	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
2. पर्यटक सूचना केन्द्र, कोलकाता।			
1	पर्यटक सूचना अधिकारी	ख	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
4	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
3. पर्यटक सूचना केन्द्र, वाराणसी।			
1	पर्यटक सूचना अधिकारी	ख	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
4	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
4. पर्यटक सूचना केन्द्र, हवाई अड्डा, पटना।			
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	2 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	2 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	2 पद
4	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
5. पर्यटक सूचना केन्द्र, रेलवे स्टेशन, पटना।			
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	2 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	2 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	3 पद
4	कार्यालय परिचारी	घ	3 पद
6. पर्यटक सूचना केन्द्र, होटल पाटलिपुत्रा, अशोक, पटना।			
1	पर्यटक सूचना अधिकारी	ख	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
2	कार्यालय परिचारी	घ	1 पद
7. क्षेत्रीय कार्यालय/पर्यटक सूचना केन्द्र, फ्रेजर रोड,पटना।			
1	सहायक निदेशक	ख	1 पद
2	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	1 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
4	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
5	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
8. पर्यटक सूचना केन्द्र,पटना साहिब।			
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–2,	ग	1 पद
3	कार्यालय परिचारी	घ	1 पद
9. क्षेत्रीय कार्यालय/पर्यटक सूचना केन्द्र, बोधगया।			

1	सहायक निदेशक	ख	1 पद
2	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	2 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
4	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
5	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
	10. पर्यटक सूचना केन्द्र, गया।		
1	पर्यटक सूचना अधिकारी	ख	1 पद
2	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	2 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	2 पद
4	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	2 पद
5	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
	11. क्षेत्रीय कार्यालय / पर्यटक सूचना केन्द्र, राजगीर।		
1	सहायक निदेशक	ख	1 पद
2	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	2 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
4	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
5	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
	12. पर्यटक सूचना केन्द्र, नालन्दा।		
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
3	कार्यालय परिचारी	घ	1 पद
	13. पर्यटक सूचना केन्द्र, मुंगेर।		
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
2	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
	14. पर्यटक सूचना केन्द्र, भागलपुर।		
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
3	कार्यालय परिचारी	घ	1 पद
	15. पर्यटक सूचना केन्द्र, वैशाली।		
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	2 पद
3	कार्यालय परिचारी	घ	1 पद
	16. पर्यटक सूचना केन्द्र, मुजफ्फरपुर।		
1	पर्यटक सूचना अधिकारी	ख	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–1	ग	1 पद
3	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	1 पद
2	कार्यालय परिचारी	घ	2 पद
	17. पर्यटक सूचना केन्द्र, रक्सौल।		
1	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	ग	1 पद
2	सूचना सहायक ग्रेड–2	ग	2 पद
3	कार्यालय परिचारी	घ	1 पद

परिशिष्ट–2

०	संवर्ग / पद का नाम	पदों की संख्या	पे० बैण्ड एवं ग्रेड पे०	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यताएँ	नियुक्ति प्राधिकार	परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	सूचना सहायक ग्रेड–2	31	पे० बैण्ड– 1, ग्रेड पे० 1900	बिहार कर्म० चयन आयोग	सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित नियमानुसार	1 इंटरमीडियट / + (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / बोर्ड / सी.बी.एस.ई / आई.सी. एस.एस.ई.) 2 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)	निदेशक पर्यटन	न्यूनतम 2 वर्ष	सरकार द्वारा निर्धारित	नियम 15 के अनुसार	नियम 11 के अनुसार	सूचना सहायक ग्रेड–1	17	पे० बैण्ड– 1, ग्रेड पे० 2400	निदेशक पर्यटन	
2.	सूचना सहायक ग्रेड–1	16	पे० बैण्ड–1, ग्रेड पे० 2400	बिहार कर्म० चयन आयोग	सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित नियमानुसार	1 इंटरमीडियट / + (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.एस.ई.) 2 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) किसी विदेशी भाषा के जानकारी रखने वाले को प्राथमिकता।	निदेशक पर्यटन	न्यूनतम 2 वर्ष	सरकार द्वारा निर्धारित	नियम 15 के अनुसार	नियम 11 के अनुसार	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	13	पे० बैण्ड– 2, ग्रेड पे० 4200	निदेशक पर्यटन	
3.	सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी	12	पे० बैण्ड–2, ग्रेड पे० 4200	बिहार कर्म० चयन आयोग	सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित नियमानुसार	1 स्नातक (भारत / राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से) 2 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) 3 डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट / टूरिज्म / ट्रेवल ट्रेड या मास कम्युनिकेशन (सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) 4 अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान।	निदेशक पर्यटन	न्यूनतम 2 वर्ष	सरकार द्वारा निर्धारित	नियम 15 के अनुसार	नियम 11 के अनुसार	पर्यटक सूचना अधिकारी	08	पे० बैण्ड– 2, ग्रेड पे० 4600	निदेशक पर्यटन	
4.	पर्यटक सूचना अधिकारी	08	पे० बैण्ड–2, ग्रेड पे० 4600		सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित नियमानुसार		निदेशक पर्यटन		सरकार द्वारा निर्धारित	नियम 15 के अनुसार	नियम 11 के अनुसार	सहायक निदेशक	06	पे० बैण्ड– 2, ग्रेड पे० 4800	प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन	
5.	सहायक निदेशक	06	पे० बैण्ड–2, ग्रेड पे० 4800		सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित नियमानुसार		प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन		सरकार द्वारा निर्धारित	नियम 15 के अनुसार	नियम 11 के अनुसार	उप निदेशक	03	पे० बैण्ड– 2, ग्रेड पे० 4800	प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन	
6.	उप निदेशक	03	पे० बैण्ड–2, ग्रेड पे० 4800		सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित नियमानुसार		प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन		सरकार द्वारा निर्धारित	नियम 15 के अनुसार	नियम 11 के अनुसार					